

राजीव अव्यासाय/प्रधानीय काव्यालय  
**कर्मचारी राज्य दीमा निगम**  
OKHLA IND. AREA PHASE I  
NEW DELHI - 110020



लेखा : 11-10-61986-101

संखा मे:

✓ कंपनी Ghbellines Security Solutions Ltd  
41-A, Friends Colony, East, New Delhi 110065

B-11002035

विषय :- कर्मचारी राज्य दीमा अधिनियम, 1948 (दर्या-तंत्रजित) को पारम्परिक (5) के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा उपयोगी स्थापनाओं का उपयोग।

प्रिय नहीं,

अपको सुनिया किया जाता है कि कर्मचारी राज्य दीमा अधिनियम की धारा 1 (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना संगठन-12(36) दिनांक 1-2-52 के अनुसार तंत्र गत्य के दिनों (दिनों) के अंतर्गत अधिनियम के अधीन शासित सभी कानूनों द्वारा

कर्मचारी राज्य दीमा अधिनियम के उपयोगों को राशू किया गया है।

आपको यह भी बूँदेल किया जाता है कि उपर्युक्त सरकार ने अधिनियम के उपयोगों का नियमांकन कर्मचारी राज्य दीमा अधिनियम की धारा 1(3) के अंतर्गत अन्य स्थापनाओं पर जीवे जीवनिक तरीके से किया है।

स्थापनाओं का विवर

प्रत्यक्षका स्थान  
उपर्युक्त

क्रमांक दीमा निगम  
(कुलक) दीमा क  
विकास को सार्वजनिक

1.	प्रियं चारह नहीं के द्वारा कियी भी दिन कोई परिवर्त (उसके उपर्युक्त स्थान) में जीवे-जीवन अधिक इतने अधिक क्षेत्रों की भी राशा में 30% से कम व्यक्ति नियोजित है अथवा नियोजित हो तब उसके किसी भी भाग में विषुष शक्ति की सहायता से अताधरण तथा विनियोजन प्रक्रिया चल रही है।	प्र-27(2)/75-नीय 28-3-73	29-3-73
2.	प्रियं चारह नहीं के द्वारा कियी भी दिन कोई अधिक परिवर्त में नियोजित है अथवा नियोजित हो तब उसके किसी भाग में विषुष शक्ति की सहायता से अताधरण तथा विनियोजन प्रक्रिया चलाई जा रही है।	-परी-	-परी-
3.	नियोजित भागों अन्य स्थानों जहाँ प्रियं 12 घण्टों के द्वारा किसी भाग में 20% अधिक उसके अधिक व्यक्ति नियोजित है अथवा नियोजित हो जाए :	-परी-	-परी-
1.	होटल	2. रेस्टर	
3.	इंजीनियरिंग सेवा सिस्टम		
4.	पड़ोस गोटर वार्ड	प्र-27(2)/74-34	28-3-76
5.	समाप्त यद विकास	प्रियं 20-3-76	
6.	दुकानें	प्र-28(2)/84-आइएस.पी.लव प्रियं 30-9-88	2-10-88

अधिनियम की धारा 2 (क) के अधीन ऐसी किसी एक्सट्रीम्युलेशन को अधिनियम के अधीन प्रोटोकूल करना आवश्यक है  
जहाँ उसके अधारम 4 के अनुसार मुख्य नियोजक को यह किसेहारा है कि वह उपर्युक्त कर्मचारियों को दीमा में शामिल  
कराए तथा अधिनियम के अधीन उसके वर्द्धमान की अदायगी करें।

अधिकार का राजीवालण्ड क्षेत्र अधिनियम से अधोन् दूर मुख्य नियोजक के उत्तराधिकार से मुक्त नहीं होये जा सकते।  
परा 40(1) और 41 के अधीन अपने प्रदान नियोजक के उत्तराधिकार से मुक्त नहीं होये जा सकते।

For Ghibellines Security Solutions क्र०३०३०

(G. K. Bharti  
Managing Director)

4. सदस्य को येतन रेते से पूरी आपके लिए अह आवश्यक होमा कि आप उसके येतन से अनिवार्य रूप से अंशदान काटे और आपने अंशदान तथा प्रशासकीय प्रभार को राशि रहित प्रत्येक मास की 15 लारीय तक भरतीय स्टैट बैंक में निधि जो लेनों में संबंधित चालानों द्वारा निम्नलिखित रूप से जमा कराये।

(क) क.भ.नि अंशदान..... क.भ.नि. संखा स. 1 में जमा कराया जाए।

(ख) प्रशासकीय प्रभार..... क.भ. नि. संखा स. 2 से जमा कराया जाए।

(ग) कर्मचारी पेशन अंशदान..... क. प. स. संखा स. 10 में जमा कराया जाए।

टिप्पणी : (i) प्रशासकीय प्रभार की दर 1.3.93 येतन, मूल येतन, महगाइ भला जिस खाते पूल्य में किसी प्रकार की रियायत और प्रतिधारण भला, यदि कोई है, का 1.10 प्रतिशत है जो न्यूनतम 5 रुपये है।

(ii) कृपया इन यत्त को नोट किया जाए कि यदि सदस्य के येतन से समय पर कटौती नहीं थी जाती तो नियोक्ता को दोनों के भाग राशि सबंधी जमा करनी होगी, ब्योर्ड कर्मचारी के बाद के येतन से पहले के बकाया अंशदान की बटौती निषेध है केवल उन मामलों को छोड़कर जहाँ वे बस्तु समय पर अकस्मात् गलती अथवा लिपिकीय गलती के कारण नहीं हो सकी।

5. उल्लिखित लेखा संखा 1.2 और 10 से जमा कराये के अतिरिक्त आपने यह भी अपेक्षित है कि आप कर्मचारी निषेध सहबद्ध बीम स्कीम 1976 के अन्तर्गत अंशदान और प्रशासन प्रभार लेखा संखा 21 और 22 से प्रत्येक मह की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर निम्नलिखित रूप से जमा करायें।

(i) निषेध सहबद्ध बीम निधि लेखा संखा 21

इस लेखे में अंशदान की दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अदा किए जाने वाला मूल येतन, महगाइ भला, जिसमें खा मूल्य में रियायत और प्रतिधारण भला यदि कोई है, कुल राशि की 0.5 प्रतिशत होगी।

(ii) शेरीय बीमा निधि प्रशासकीय लेखा संखा 22

इस लेखे में प्रशासकीय परभार की दर 1.10.87 से नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारी को अदा किए जाने वाले मूल येतन, महगाइ भलाय जिसमें खाप सबंधी रियायत और प्रतिधारण भलायदि कोई है, की कूल राशि की 0.01 प्रतिशत होगी। जो न्यूनतम 2 रुपये प्रतिमाह है। इससे पूर्व यह दर 0.1 प्रतिशत थी।

उपरोक्त लेनों अर्थात् 1.2, 10, 21 और 22 में राशि विभिन्न चालानों के पाठ्यम से जमा कराई जाएगी और यैक से ग्राहक चालानों की दोन प्रतियों फार्म संखा 12 क ( संरक्षित ) ( नीचे उल्लिखित ) के साथ इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिए।

6. आपसे यह अपेक्षित है कि आप निम्नलिखित रिटर्न तैयार/प्रेषित करें :-

(i) क.भ. नि स्कीम, 1952 तथा कर्मचारी पेशन स्कीम 1995 के अन्तर्गत फार्म संखा 9  
( संशोधित )

यह रिटर्न केवल उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस कार्यालय में केवल एक बार जमा करनी होती है। जिसे फैक्टरी/स्थापना की स्कीम के कार्यक्रम में लाने की तिथि से सदस्य बनाया जाना अपेक्षित है वा सदस्य बनने के पाव्र हो गए हैं।

(ii) क. भ.नि. स्कीम और क. पेशन अंतर्गत फार्म स. 2

यह दो प्रतियों में इस कार्यालय को भेजे जाने चाहिए।

(iii) फार्म स. 5-क

यह दो प्रतियों में इस कार्यालय को भेजे जाने चाहिए। मालिकों में किसी भी प्रकार का बाद में परिवर्तन अने पर इस फार्म के पाठ्यम से इस कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए।

(iv) फार्म स. 3 क

यह प्रत्येक सदस्य/कर्मचारी से सम्बन्धित फार्म है जिसे फैक्ट्री स्थापना में ही रखा जाना चाहिए। इस फार्म में भ. नि. में किए गए अंशदान की प्रतिमाह प्रदिव्य करती होती है।

(v) फार्म स. 6-क

यह अंशदान की वार्षिक विवरणी है और इस प्रत्येक विलोय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिनों के भीतर फार्म 3-क के साथ ( फरवरी ) माह से सम्बन्धित अन्तिम अंशदान प्रत्येक वर्ष भार्य से अदा किया गया विद्याय जाना चाहिए। इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।

For Ghibellines Security Solutions Ltd.

क्रमसं. पृष्ठ 3

G. K. Bharti

(vi) फार्म सं. 12-क

यह लंबानन वर मर्गिय रिटर्न फार्म है, जिसे प्रत्येक उन्नाले माह की 25  
सारीय तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है। भारतीय रेटर्न बैंक ने  
जाना करायी गई राशि से संबंधित अंशदान की दीर्घांश प्रतिक्रिया इसके साथ  
संलग्न थी जानी चाहिए।

(vii) फर्म सं. 5 और 10<sup>4</sup>

यह उन कर्मचारियों के संबंधित रिटर्न हैं जो माह के दौरान नए सदस्य  
बनाए जाते हैं या नौकरी छोड़ जाते हैं और इन्हें अन्ते माह की 15  
सारीय तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।

7. कर्मचारी भविष्य निधि स्लीम, 1952, कर्मचारी पैशान स्लीम 1995 और निवेप सहयद्र दीना स्लीम, 1976 से  
संबंधित जभी निर्धारित फार्म भविष्य कार्यालय में उपलब्ध है और इन्हे निश्चल आपका मांग पत्र प्राप्त होने पर दिया जाता है। नमूना  
फार्म संलग्न है।

8. कर्मचारी पैशान स्लीम अंशदान के संबंध में इसे कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान से अलग किया जाना चाहिए और  
संबंधित फार्म में अलग से दिखाते हुए ..... नाह से लेखा सं. 10 में जमा करना होता है।

9. कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी निवेप सहयद्र दीना से संबंधित ..... से  
..... लक की घोषणा राशि ..... को या इससे पूर्व जमा करना होता है।

10. मदि इस स्लीम को लानू करते समय पान सं. 9 (संशोधित) ने दियाए गए कर्मचारी स्थापना की नियमी भविष्य निधि  
स्लीम के सदस्य थे तो उनके द्वारा ने जमा भविष्य निधि भी राशि भारतीय रेटर्न यैक द्वारा रखे जा रहे कर्मचारी भविष्य निधि लेखा  
राशि 1. से निर्धारित अंशदानों में उपाय परायी जाए और अंशदान की दीर्घांश प्रति इस कार्यालय को भेजी जाए। भविष्य निधि की निवेप  
भी गई राशि 1. राशि से संबंधित हासी प्रति भूलियों या भार भाव के अन्दर योन्दीय न्यासी योर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के पक्ष में  
हस्तांतरण बर दिया जाए और हस्तांतरण की गई इस प्रतिभूलियों को इस कार्यालय को भेज दिया जाए। राशि ए अन्तरण के  
सम्बन्ध में दिए गए निवेशों से सम्बन्धित नोट संलग्न किया जा रहा है। नियमी भविष्य निधि के लेखों में उपलब्ध रोकद का इस पर  
भी प्रतिक्रिया के 30 दिनों के अन्दर अंतरण कर दिया जाए अन्यथा निर्धारित तिथि या याद रोकद अंतरण करने के लिए आपको

यूपया पत्र व अनुलग्नकों की जावटी भेजें।

पददीय

केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुलग्नक

1. कर्मचारी भविष्य निधि स्लीम, कर्मचारी लुटुम्य पैशान स्लीम, कर्मचारी निवेप सहयद्र दीना स्लीम को लानू करने से  
संबंधित निवेश।

2. लेखा सर्वान्वय अलाट करने से सम्बन्धित निवेश।

3. पूर्व भविष्य निधि, राशि और प्रतिभूलियों को हस्तांतरण करने से सम्बन्धित निवेश।

4. कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान, लुटुम्य पैशान अंशदान, निवेप सहयद्र दीना अंशदान की संगणना से संबंधित रेडी रेफरनर।

5. फार्म 5-क (ठीन प्रतिक्रियों में)।

प्रतिलिपि :

1. श्री/श्रीमती ..... भविष्य निधि निरीक्षक को अनुपालन सुनिरिद्धत करने  
के प्रतिक्रिया जानी है। उन्ने यह भी अनुरोध किया जाता है कि स्थापना के संबंधित फार्म 5-क की दो प्रतिक्रियां स्थापना से प्राप्त करें।  
उन्हें सलाह दी जाती है कि वे को मि. नि.आ. के परिपत्र सं. ३-७२/११ (२८) ३०/पीएन दिनांक ६.६.१९८१ में दिए गए अनुदेशों  
के अनुसार ४५ दिन के भीतर कंदरेज या स्थायी करें:

2. लेखा अनुभाग, उपकोशीय कार्यालय ..... /यह समझा जाता है कि इस फैक्ट्री/स्थापना के पास  
भविष्य निधि से सम्बन्धित ऐसी राशि उपलब्ध है/नहीं है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि यो अंतरित किया जाना है इसे गुप द्वारा रखे  
जा रहे अंशदान रहिस्टर में आवरणक अभ्युक्तयों के साथ नोट किया जाए।)

3. प्रयोगन शाखा ..... अनुभाग।

4. काइल सं. ३/डीएल/

5. ये. मि. नि. आ. ..... या उनके पत्र सं.

दिनांक ..... के सम्बन्ध में भूलना और आदरणक यार्डवाई हेतु।

चृते केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त

For Ghobalines Security Solutions

(O. K. Bharat  
Managing Director

आपके द्वारा अवधीन कैटटो-स्ट्रेप के सबूत में इन तीन बिंदुओं को निश्चिह्नित करना आवश्यक नहीं लगता है। यह निश्चिह्नित करने का अवधारणा या आपको अवधीन कैटटो-स्ट्रेप के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है। (५) के अन्यथा ज्ञातव्य में आपकी ३ लेखियाँ बांद वाले के लकड़ी से यह स्ट्रेप के लिए नहीं हैं कि उपर्युक्त कैटटो-स्ट्रेप उपयोगिता का अधिक से पहले यह जिसका उपयोग से उपयुक्त वर्णन करता है शर्मिला और आपनी यों तो आप ऐसी गतिशील रूप से उपयोग करना चाहते हैं।

आपसे अनुरोद है कि आपनी फिल्में-स्थानकों को अधिकारियम के अधीन शामिल किये जाने की तरीख से अपने कम्पनीयों का संबोधकार्य अनुरोद देवाना पर बनने तक अनुरोद या भूगतन करने प्रकार के अनुरोद आदि के सदृश ये शीघ्र करावाएं करें। सुनियन की दृष्टि से आपकी फिल्में-स्थानकों को बृहत् ११-१०-६१९६६-१०१... आंकड़िट की गयी है। इस कामयाली को भेज गए तभी प्राप्ति में तब कामी से निपट रखने पर इस बृहत् संख्या का प्रयोग करें।

**Ashram** ..... पा स्थित स्वार्थीय शायालय को आपके कर्मसूलियों के प्रतीकता के संरूप में जापके अवधारणा साक्षात् देने के अनुदेश दिये गए हैं। यदि कोई कठिनाई हो तो आप पूर्णपात्र उपर्युक्त शास्त्र शायालय के प्रशंसक, ये समर्पक करें जो शायालय में आपकी अपेक्षित सत्यता परामरण किया जाए। इसके अपर्याप्त व्यापाराना में राष्ट्र धर्मा औपचालय की सहायता सुनीची का प्रदाय करें ताकि आपके कर्मसूलियों का गतिशील व्यापार कर सकें। सभी अंगठित व्यापार उपर्युक्त शास्त्र शायालय से प्राप्त कीं, उससे शायालय के साथ बाधाह कर्मसूलियों की भवित्व के लिये जारी।

परंपरागत भौमा अंशधन स्थिरकार करने आवंटे एक की शाखाओं परी सुधी संलग्न है। आप कृपया अपनी सुविधा के अनुसार विस्तृत एक शैक्षणिक या सुनाव फ्रांकें और उनकी सूचना इस प्रायोल्य तथा भारतीय सेट एक की संपर्याप्त शाखा की भेज दें। आप केवल इसी शाखा में परंपरागत राजनीति की सुनावना करें। यदि परी की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर कोई सुनाव प्राप्त नहीं हुई तो आपको द्वारा जिस शाखा में गठित जामा करार्ट जाएगी उसी शाखा को अपनी फेलटी स्थापना की वापिसी शाखा बन दिया जाएगा।

नियम कर्मसारी आपके कार्य को निपटाने में तथा कर्मसारी राज्य शील अधिनियम 1948 की व्यवस्थाओं का प्राप्ति दरमे ने आपकी सभी अवधारण तर रापें भलाकृत कोण सदा उन्हें विवरात है कि आप अपनी ओर से कर्मसारी राज्य शील अधिनियम के उपलब्ध तथा नियमित एवं तत्वरूप से गैरी रम्य पर पालन करते। आपसे यह भी अनुरोध है कि आप सभी प्रकार से संलग्न काम 61 विविध भवित्व इस कामालय को तत्काल भेजने की कृति करें।

परं विस्तीर्णाकृति के प्रतिरक्षिति में या आदाहोम पवन में या ईरुक्टु यी मारिलान्ति विद्युति में या जापके द्वारा वेद गुहान के सदधन में जो सूखना प्राप्त ही गई है, तो अप्युगा परिवर्तन इसमें है ताकि द्वारा शोषण सम्भव हों।

715

**प्रतिलिपि :-** निम्नलिखित को प्रतिलिपि

1. शास्त्र अधिकारी Ashram
  2. सम्बन्ध वाला, सेवीय कार्यालय दिल्ली को आवश्यक अधिकारी कार्यालय है। Inspectorate cell
  3. प्रो/सुरी S.P. Pehdey वीमा विविधक, प्रभाग सं...  
को इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि यह इस कंपनी को अनियंत्रित व्यापार की तरीख नियंत्रित करने की प्रीतिया तीन माह के अन्दर उद्योग पूर्ण करें।
  4. गाड़ वाहिनी :
  5. मुख्य प्रबन्धालय नियोक्तक 15, राजपथ रोड, दिल्ली को सुधाराय।
  6. B.P.C., EPFO, महार भवन, लॉट दिल्ली।

कृत शोशीय निर्देशालय

For Ghibellines Security Solutions

G.K.BI/204  
Managing Director